



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2018/ज्येष्ठ 28, 1940

No. 414]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 18, 2018/JYAISTHA 28, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

सा.का.नि. 569(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क और धारा 211 की उपधारा (3ग) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये नियम तारीख 01 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के, “उपाबंध” में, “लेखांकन मानक(एएस)11” के अधीन “लेखांकन मानक” शीर्षक के अधीन, पैरा 32 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् -

“32. कोई उद्यम विक्री, परिसमापन, शेयरपूँजी के पुनर्संदाय, या उस समस्त या आंशिक व्यापार के परित्याग के माध्यम से गैर-समाकलित विदेशी व्यापार में अपने हित का व्ययन कर सकेगी। किसी ऐसे लाभांश का संदाय जो किसी व्ययन का भाग केवल तब होता है जब उससे निवेश का प्रतिलाभ मिलता है। संचित लाभों के प्रत्यावर्तन द्वारा किसी गैर-समाकलित विदेशी व्यापार से विप्रेषित राशि तब तक व्ययन का भाग नहीं होती जब तक कि यह निवेश का प्रतिलाभ न दे। आंशिक व्ययन के मामले में, संबंधित संचित विनिमय अंतर का केवल आनुपातिक शेयर ही अभिलाभ या हानि में सम्मिलित किया जाता है। किसी गैर-समाकलित विदेशी व्यापार में लगी हुई नकद राशि का अपलेखन आंशिक व्ययन नहीं होता है। तदनुसार, आस्थगित विदेशी विनिमय अभिलाभ या हानि के किसी भाग की अवलेखन के समय मान्यता नहीं दी जाती है।”

[फा. सं. 17/151/2013-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 07 दिसंबर, 2006 में सा.का.नि. 734(अ), तारीख 07 दिसंबर, 2006 की सा.का.नि. 914(अ) तारीख 29 दिसंबर, 2011 और सा.का.नि. 364(अ) तारीख 30 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2018

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with section 210A and sub-section (3C) of section 211 and of the said Act, the Central Government, in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules to amend the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2018.

2. In the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, in the “ANNEXURE”, under the heading “ACCOUNTING STANDARDS” under “Accounting Standard (AS) 11”, for the paragraph 32, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“32. An enterprise may dispose of its interest in a non-integral foreign operation through sale, liquidation, repayment of share capital, or abandonment of all, or part of, that operation. The payment of a dividend forms part of a disposal only when it constitutes a return of the investment. Remittance from a non-integral foreign operation by way of repatriation of accumulated profits does not form part of a disposal unless it constitutes return of the investment. In the case of a partial disposal, only the proportionate share of the related accumulated exchange differences is included in the gain or loss. A write-down of the carrying amount of a non-integral foreign operation does not constitute a partial disposal. Accordingly, no part of the deferred foreign exchange gain or loss is recognised at the time of a write-down”.

[F. No. 17/151/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th December, 2006, *vide* G.S.R. 734(E), dated the 7th December, 2006, *vide* G.S.R. 914(E), dated the 29th December, 2011 and *vide* G.S.R. 364(E), dated the 30th March, 2016.